

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 628 / 2015

संस्थापन दिनांक 25.08.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—रामरूप पुत्र दुर्जनसिंह जाटव उम्र 45 साल
- 2—अशोक पुत्र रामरूप जाटव उम्र 30 साल
- 3—रामसेवक उर्फ कोबी पुत्र रामरूप जाटव उम्र 22 साल निवासीगण ग्राम पटकुईयापुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 506 भाग दो, 323/34, विकल्प में 337 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 336 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.08.15 को रात्रि 11:00 बजे फरियादी भगवानसिंह अ0सा01 के घर के बगल में पटकुईयापुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.08.15 को रात्रि 11 बजे की घटना है घटना के दो दिन पूर्व आरोपी रामरूप ने भगवानसिंह अ0सा01 के साथ गाली गलौच की थी परन्तु उसे गांववालों ने समझा दिया था इसी बात पर घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी के घर पर आकर उसे अश्लील गालियां दी और पत्थर फेंके जो नागेन्द्र अ0सा2 को लगा एक पत्थर अशोक ने मारा जो वीरेन्द्र अ0सा03 के लगा। पत्थर फेंकने से आहतगण का जीवन संकट में पड़ गया। फरियादी व आहत घर के अंदर आ गये आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात फरियादी भगवानसिंह अ0सा01 थाना एण्डोरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से थाना एण्डोरी में अप0क0 103/15 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया

और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 12.08.15 को रात्रि 11:00 बजे फरियादी भगवानसिंह अ0सा01 के घर के बगल में पटकुईयापुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. भगवान असा01 ने कथन किया है कि आरोपीगण से उनकी पुरानी रंजिश थी जिस पर उन्होंने नागेन्द्र अ0सा02 व वीरेन्द्र अ0सा03 की मारपीट कर दी थी जिसकी एफआईआर प्र0पी-1 उसने थाना एण्डोरी में की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने पत्थर फेंककर मारे जिससे उनका जीवन संकट में पड़ गया और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

6. आहत नागेन्द्र अ0सा02 व वीरेन्द्र अ0सा03 ने भी यही कथन किया है कि आरोपीगण ने पुरानी रंजिश पर उनकी मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने पत्थर फेंककर मारे थे जिससे उन्हें चोटें आई थी तथा उनका जीवन संकट में पड़ गया था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस क्रमशः प्र0पी-4 व 5 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

7. अतः फरियादी भगवान व आहत नागेन्द्र अ0सा02 व वीरेन्द्र अ0सा03 ने घटना के प्रत्यक्ष व महत्वपूर्ण साक्षी होते हुए अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और आरोपीगण के द्वारा उपेक्षापूर्वक पत्थर फेंके जाने के तथ्य से इंकार किया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 12.08.15 को रात्रि 11:00 बजे फरियादी भगवानसिंह अ0सा01 के घर के बगल में पटकुईयापुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 336 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

9. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0